टिप्पणी (क्रमिक)

डायरी संख्या

25 5/18 पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु ... द्वार कैम्प स्थल जटवाड़ा (14.5.18) में पेश ...

रामप्रसाद

14 5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जटवाड़ा में पेश हुई। प्रतिदावाकर्तागण उपस्थित जिनकी पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत जटवाड़ा ने की है। प्रतिदावाकर्त्ता को काउन्टर क्लेम पर सुना गया। तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रतिदावा कर्ता की काउन्टर क्लेम पर सुनने के पश्चात लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख. नं. 729 रकबा 3 बीघा स्थित ग्राम जटवाड़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में प्रतिदावाकर्ता प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की डिक्री मांग रहा है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किया जाना उचित नहीं समझते। अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिदावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिग्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जटवाड़ा में मजमे आम में सुनाया गया

(हस्ताक्षर)
14.5.18

नि. रामजीलाल

बाबूलाल

मुकेश

पप्पूलाल

गल्लूराम

सरपंच
ग्राम पंचायत जटवाड़ा
पं. स. बस्सी (जयपुर)

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. छाजू पुत्र मांगीलाल (मृतक दौराने काउण्टर क्लेम)
1/1. कन्हैयालाल पुत्र छाजू
1/2. रामप्रसाद पुत्र छाजू
1/3. संज्या बेवा छाजू
1/4. मंजू पुत्री छाजू
1/5. सुशीला पुत्री छाजू
समस्त जाति कोली निवासी ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. रेवड पुत्र घासी (मृतक दौराने दावा)
1/1. लल्लू
1/2. रामजीलाल
1/3. गल्लू
1/4. पप्पू
1/5. बाबूलाल
1/6. मुकेश समस्त पुत्रान रेवड
1/7. धापा बेवा रेवड
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम हंसमहल तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 19/18 दिनांक 14.05.2018

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 729 रकबा 3 बीघा स्थित ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध मे प्रतिदावाकर्त्ता प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की रिलिफ मांग रहा हैं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान किया जाना उचित नहीं समझते। अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिदावाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है।

मोहर

दस्तख्त........ 14.5.18

ओहदा........

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर